भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
सार्वजनिक सूचना - मूल्यांनकताओं को सूचीबद्ध करने हेतु

अंतिम तिथि : 04.10.2023

भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। एसबीआई जयपुर मंडल में मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए नीचे दी गई मूल्यांकनकर्ताओं की श्रेणियों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्तें वे मानदंड की शर्तें पूरी करते हों।

इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोड, 2016 के प्रावधान के तहत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जिन्हें भारत सरकार, कंपनी मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18.10.2017 के अनुसार कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम 2017 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, और

संपत्ति कर अधिनियम 1957 की धारा 34 एबी (सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आवश्यक) के अधीन पंजीकृत मून्यांकनकर्ता।

उपर्युक्त (ए) और (बी) के अतिरिक्त अन्य मूल्यांकनकर्ता जो आवश्यक योग्यता रखते हैं ।

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।

(i) सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम 2002 के अधीन मूल्यांकनकर्ता।
(ii) सरफेसी अधिनियम 2002 के अतिरिक्त मूल्यांकनकर्ता (आईबीबीआई में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं सहित)।

बैंक के पैनल में पहले से मौजूद मूल्यांकनकर्ताओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

आवेदन पत्रों की जाँच, उनकी संस्तुति करने और उचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए संगत संलग्नकों/दस्तावेजों इत्यादि के साथ मूल्यांकनकर्ता को अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में हमारे निकटतम व्यावसायिक इकाइयों/शाखाओं इत्यादि में दिनांक 04.10.2023 तक जमा करने होंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारे आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in “SBI in the news” >Show More>“Empanelment of vendors” देखें।

बैंक के पास , नोटिस दिए बिना इसमें किसी प्रकार के संशोधन/आशोधन/सूचीबद्ध के किसी निबंधन एवं शर्तों और विज्ञापन को वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

दिनांक : 19.09.2023

उमप्र एवं सीसीओ

जयपुर